न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 02/2014

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थीगण
भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर		1. कांतिलाल पुत्र रूपचन्द जाति माली निवासी होस्पीटल के पास पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता) 2. मैसर्स मॉ भगवती दूध देयरी पचपदरा जिला बाड़मेर मार्फत कांतिलाल अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से।
2. श्री माधोसिंह चौधरी विप्रार्थीगण की ओर।

निर्णय दिनांक 7.2.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.10.2013 को शुद्व के लिए युद्व अभियान के दौरान प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी के मैसर्स मॉ भगवती दूध डेयरी पचपदरा पहुचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम कांतिलाल पुत्र रूपचन्द जाति माली निवासी पचपदरा, डेयरी का मालिक होना बताया। निरीक्षण करने पर डेयरी में रखे एक फ्रीज के अन्दर लगभग 50 लीटर दूध आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ पाया गया। फ्रीज में रखे दूध में

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

मिलावट का सन्देह होने पर रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियॉ में बराबर मात्रा में भरा गया, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 40/– रूपये अदा किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40–40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी.291 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.291 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर, नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि खाध पेय पदार्थ दूध (मिक्स) का नमूना पी.291 की जॉच रिपोर्ट एलएस/610/एक्ट/2013/612 दिनांक 12.11.2013 को अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जॉच में दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पेय पदार्थ दूध का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद निस्तारण हेतु पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति,कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.291 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री माधोसिंह चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुए।

3. बहस के दौरान् सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 26.10.2013 को मैसर्स मॉ भगवती दूध डेयरी पचपदरा में रखे एक फ्रीज में 50 लीटर दूध आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ पाया गया। उक्त दूध में मिलावट होने का सन्देह होने पर दूध का नियमानुसार नमूना लिया गया। जांच के दौरान दूध का नमूना पी.291 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन है, फलस्वरूप खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवकता का तर्क हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जब्त किये गये दूध व प्रयोगशाला में भेजे गये सेम्पल की रिपोर्ट अनुसार दूध के अन्दर फेट के सम्बन्ध में सब–स्टेण्डर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, मिलावट के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जे से ऐसा कोई उपक्रम या मशीन मिलने का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे दूध में मिलावट आदि की गई हो। अप्रार्थी संख्या 01 अपनी दुकान में अन्य लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया दूध अपने फ्रिज में ठण्डा रखने हेतु प्रति किलो के हिसाब से चार्ज लेकर, रखता था। अप्रार्थीगण पर कम से कम जुर्माना आरोपित किया जाये।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

5. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/610/एक्ट/2013/612 दिनांक 12.11.2013 के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा दुकान में विक्रय हेतु रखे गये दूध का नमूना, जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण कांतिलाल वगैरहा द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत पाये गये दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का दूध रखने एवं बेचने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थी संख्या 01 व अप्रार्थी संख्या 02 प्रत्येक पर 5000/–(अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख से एक माह के अंदर– अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 7.2.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर